भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 394

दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

मुर्गीपालन और डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव

394. सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण मुर्गीपालन और डेयरी क्षेत्र को हुई क्षति से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की क्षति के संबंध में कोई आकलन किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस प्रकार की क्षति की लिए किसी प्रकार के मुआवजे के लिए विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान को कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के संबंध में सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया द्वारा फैलाए गए भ्रामक तथ्यों के कारण पोल्ट्री उद्योग को नुकसान का सामना करना पड़ा। पोल्ट्री सेक्टर को लॉकडाउन के कारण और नुकसान हुआ क्योंकि कई राज्यों द्वारा अंडों, चिकन मांस की बिक्री और पशु आहार की ढुलाई को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

जहां तक डेयरी सेक्टर का संबंध है, कोविड महामारी के दौरान सहकारी सेक्टर द्वारा डेयरी किसानों को अदा किए गए खरीद मूल्य सहित डेयरी किसानों से खरीद गए औसत दूध की मात्रा स्थिर रही है अप्रैल 2019 के दौरान प्रतिदिन औसतन 473.4 लाख लीटर दूध खरीदा गया जो अप्रैल, 2020 में बढ़कर 480.56 एलएलपीडी हो गया। अप्रैल, 2021 में यह 512.13 एलएलपीडी था। सहकारी सेक्टर द्वारा डेयरी किसानों को अदा किया गया औसत खरीद मूल्य अप्रैल,2019 में 34.38 रूपए प्रति किग्रा, अप्रैल, 2020 में 38.01 रूपए प्रति किग्रा तथा अप्रैल, 2021 में 39.23 रूपए प्रति किग्रा. (6% वसा तथा 9% सॉलिड गैर वसा वाले दूध के लिए) था।

(ख) से (ड.) पोल्ट्री सेक्टर की सहायता करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :

i. पोल्ट्री तथा पोल्ट्री उत्पादों के माध्यम से मनुष्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की अफवाहों को रोकने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा परामर्शियां जारी की गई।
ii. पोल्ट्री आहार/पोल्ट्री उत्पादों तथा अंडों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने और राज्यों द्वारा इन वस्तुओं की ढुलाई करने के संबंध में भी परामर्शियों जारी की गई।

iii. नियमित आधार पर दूध की खरीद, बिक्री, मूल्य और स्किम्ड दूध पाउडर (एसएमपी) के स्टॉक, मक्खन और घी आदि पर निगरानी रखने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश में दूध की स्थिति की नियमित समीक्षा की गई। वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में कोविड - 19 महामारी के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश में डेयरी व्यवसाय की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सहकारी समितियों के साथ-साथ कुछ निजी डेयरियों से दूध खरीद, मूल्य, बिक्री तथा स्टॉक के संबंध में दैनिक और साप्ताहिक आधार पर जानकारी एकत्र की। प्राप्त जानकारी के आधार पर तथा आकलन का विश्लेषण करने के पश्चात निम्नलिखित कदम उठाए गए :-

(क) 13.05.2020 को केंद्रीय सेक्टर की चल रही योजना ''राज्य डेयरी सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता'' योजना (एसडीसी और एफपीओ) में एक नया घटक शामिल किया गया। इसमें सहकारी समितियों तथा दूध उत्पादक कम्पनियों को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% ब्याज सहायता तथा समय पर अदायगी के लिए अतिरिक्त 2% ब्याज सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ख) आत्मनिर्भर पैकेज के भाग के रूप में, विभाग ने जून 2020 से दिसम्बर, 2020 तक ''दूध सहकारी समितियों तथा दूध उत्पादक कम्पनियों के डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधी अभियान'' प्रारंभ किया।

(ग) विभाग ने दूध/ दूध पाउडर को आंगनवाडियों/ मध्याह्न भोजन तंत्र के माध्यम से शामिल करने के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया था। राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और पंजाब राज्य ने स्थिति को संभालने के लिए आपूर्ती शुरू कर दी है।

(घ) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने 15000 करोड़ रूपए के परिव्यय से पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) नामक एक नई योजना प्रांरभ की है। यह योजना डेयरी प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन, मांस प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन, पशु आहार इकाईयों तथा नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना और प्रोद्योगिकी समर्थित पोल्ट्री फार्मों सहित नस्त सुधार प्रौद्योगिकी के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रांरभ की गई है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), निजी कम्पनियां, व्यक्तिगत उद्यमी, धारा 8 कम्पनियां सूक्ष्म, लधु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) पात्र इकाईयां हैं। योजना के अनुसार, पात्र इकाईयां उपरोक्त अवसंरचना की स्थापना के लिए 10% मार्जिन मनी देकर 90% तक के ऋण का लाभ उठा सकती हैं। केंद्र सरकार योजना के तहत ऋण का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सहायता तथा दो वर्ष की आस्थागन अवधि प्रदान कर रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने एमएसएमई लाभार्थियों को उधार लिए गए ऋण के 25% तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की भी स्थापना की है।

****